न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूलसिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर :— 08/2018

(आरसीएमएस नम्बर :— 2018/00009)

उनवान प्रकरण

रामखिलाडी पुत्र विधाराम जाति बाहम्ण निवासी ग्राम कमरियन का पुरा (अण्डवा पुरैनी) तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर .....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 18.09.2017
मु0नं0 35/2017 सरकार बनाम रामखिलाडी
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय
तहसीलदार राजाखेडा

उपस्थिति :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री सत्यप्रकाश कौशिक एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :— श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 23.08.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को सम्बत 2074 में आराजी खसरा नम्बर 1428/733 रकवा 583 वीधा 8 विस्वा किस्म चारागाह बॉके ग्राम अण्डवापुरैनी तहसील राजाखेडा में 98.5 X 47-5 वर्गफीट भूमि में विधालय भवन बनाकर अतिक्रमी मानते हुये उक्त आराजी से बेदखल कर लगान की 50 गुना शास्ती अधिरोपित कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2017 को पारित किया हैं जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस प्रचारित नहीं किया गया ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से नोटिस की तामील अपीलार्थी पर कराई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलार्थी के विरूद्व पटवारी हल्का द्वारा गलत व झूंठे तथ्यों पर तत्कालीन सरपंच से रंजिस के कारण पेश की गई है। ग्राम कमरियन का पुरा कई सताब्दियों पूर्व का वसा हुआ है लेकिन गॉव अभी तक आवादी में दर्ज नहीं हो पाया है जहॉ अपीलान्ट कई

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते तथा नियमन आवंटन के लिये प्रतिबन्धित है। इस भूमि पर अतिक्रमी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। नियमन की कार्यवाही पृथक से की जाती है। अपीलान्ट की विवादित भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है। अपीलान्ट पुराने कब्जे के आधार पर नियमन/खातेदारी अधिकार चाहते है। विधि अनुसार धारा 91 कार्यवाही अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं दिए जा सकते है, अपीलान्ट यदि प्रश्नगत भूमि पर अपना अधिकार मानते है तो सक्षम न्यायालय से धोषणा कराने को स्वतन्त्र है। हमारे समक्ष यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि चारागाह भूमि है जिस पर अपीलान्ट का बिना कोई वैध अधिकार कब्जा है। उक्त विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि चूंकि उक्त विवादित आराजी के सम्बध में एक दीवानी दावा वमुकः रामखिलाडी वगैरा बनाम राजस्थान राज्य वगैरा माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश धौलपुर में बिचाराधीन है जिसमें श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर, उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा एवं तहसीलदार राजाखेडा पक्षकार प्रकरण है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजाखेडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की कियान्विति माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश धौलपुर में बिचाराधीन दीवानी वाद के निस्तारण तक स्थगित रखा जाना हम उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2017 की कियान्विति, माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश धौलपुर में बिचाराधीन दीवानी दावा वमुकः रामखिलाडी वगैरा बनाम राजस्थान राज्य वगैरा के निस्तारण तक स्थगित रखी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner